

436

तत्काल/दस्ती

सं. ए/43019/एमएसीपी/एमटीएस/08/मु.प्र.अ./का-2(बी)

रक्षा मंत्रालय

(संयुक्त सचिव एवं मु.प्र.अ. का कार्यालय)

विषय:-संशोधित सुनिश्चित आजीविका प्रोन्नयन (एमएसीपी) योजना के अंतर्गत सशस्त्र सेना मुख्यालय/अंतर सेवा संगठनों में बहु कार्य कर्मचारी संवर्ग के कार्मिक को सतत् सेवा के 10/20/30 वर्ष पूर्ण कर लेने के उपरान्त प्रथम/ द्वितीय/ तृतीय वित्तीय उन्नयन ।

संशोधित सुनिश्चित आजीविका प्रोन्नयन (एमएसीपी) योजना संबंधी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, के ज्ञापन सं. 35034/3/2008-स्था.(डी), दिनांक 19 मई 2009 सह पठित ज्ञापन 16 नवम्बर 2009, 09 सितम्बर 2010, आई डी सं. 32536/सीआर/11 दिनांक 18 जनवरी 2012, ज्ञापन सं. 35035/3/2015-स्था.(डी), दिनांक 28 सितम्बर 2016 तथा ज्ञापन सं. 35034/3/2015-स्था.(डी), दिनांक 22 अक्टूबर 2019 में विहित नियमों एवं दिशा-निर्देशों के आलोक में, सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से इस नोट के साथ संलग्न परिशिष्ट - 'क' पर दर्शाये गये बहु कार्य कर्मचारी को प्रथम/द्वितीय/तृतीय वित्तीय उन्नयन, जिसके लिये जो लागू हो, प्रदान किया जाता है।

2. उपरोक्त वित्तीय उन्नयन विशुद्धतः वैयक्तिक रूप से दिया जाएगा और उसकी वरिष्ठता स्थिति से इसका कोई संबंध नहीं होगा। इसी प्रकार वरिष्ठ कर्मचारियों को इस आधार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन नहीं दिया जाएगा कि इस ग्रेड में कनिष्ठ कर्मचारी ने संशोधित आजीविका प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतन प्राप्त कर लिया है।

3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के आई डी सं 32536/सी आर/11 दिनांक 18.01.2012 के अनुसार, एमएसीपी योजना में डॉयज-नान की अवधि को सतत् सेवा की अवधि में नहीं गिना जाएगा। वैसे, बहु कार्य कर्मचारियों की क्रमशः वित्तीय उन्नयन प्रदान करने की तिथि, जो इस नोट के क्रम संख्या 07, 09, 14, 23, 34 तथा 47 पर दर्शाए गए हैं, जिनकी सेवा अवधि में डॉयज-नान अवधि है, उनके वित्तीय उन्नयन की तिथि तदानुसार बढ़ा दी गई है।

4. संशोधित सुनिश्चित जीविका प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत पदोन्नति/वित्तीय उन्नयन देते समय अपना वेतन नियत करवाने के संबंध में किसी सरकारी कर्मचारी को मूल नियम 22(1)a(i) के अंतर्गत उसकी पदोन्नति की तारीख से अथवा उसकी अगली वेतन वृद्धि की तारीख अर्थात् उस वर्ष की 01 जुलाई से उच्चतर पद/ग्रेड वेतन में नियत करवाने का विकल्प है। वेतन और वेतन वृद्धि की तारीख को व्यय विभाग के दिनांक 13.09.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/1/2008-आई.सी. के स्पष्टीकरण सं 2 के अनुसार नियत किया जाएगा। इस योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के समय पर नियमित पदोन्नति के समय प्रदान किया जाने वाला वेतन निर्धारण का लाभ भी अनुज्ञेय होगा। अतः ऐसे में वेतन, 3 % तक बढ़ जाएगा। तथापि, नियमित पदोन्नति, यदि एमएसीपी योजना के अंतर्गत यथा प्रदत्त समान वेतन लेवल में हुई है तो उस समय वेतन निर्धारण का अतिरिक्त लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। तदापि, एमएसीपी के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन के समय प्राप्त होने वाले वेतन-मैट्रिक्स में लेवल, नियमित पदोन्नति के समय प्राप्त होने वाले वेतन-मैट्रिक्स में लेवल से अलग हो सकते हैं, यदि नियमित पदोन्नति वेतन मैट्रिक्स के दो क्रमिक लेवल में नहीं होती है। ऐसे मामलों में संबंधित कैडर/संगठन के पदक्रम में होने वाले नियमित पदोन्नति के समय प्राप्त होने वाला वेतन-मैट्रिक्स में उच्चतर लेवल, केवल नियमित पदोन्नति के समय ही दिया जाएगा।

5. यदि कर्मचारी को वित्तीय उन्नयन का हकदार बनने से पहले नियमित पदोन्नति के प्रस्ताव दिया गया और उसने अस्वीकार कर दिया है, तो कोई वित्तीय उन्नयन नहीं दिया जाएगा क्योंकि अवसरों की कमी के कारण हुआ गतिरोध नहीं माना जाएगा। तदापि यदि वित्तीय उन्नयन की अनुमति गतिरोध के कारण नहीं दी गई है और तत्पश्चात कर्मचारी ने पदोन्नति से मना कर दिया है तो यह वित्तीय उन्नयन को वापस लेने का आधार नहीं होगा। फिर भी, वह अगले वित्तीय उन्नयन पर विचार करने का तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह पुनः पदोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए सहमत नहीं होता है और अगला वित्तीय उन्नयन भी, इंकार के कारण विवर्जन की अवधि तक स्थगित कर दिया जाएगा।

6. संबंधित प्रशासनिक अनुभाग वित्तीय उन्नयन प्रदान करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित कर्मचारी के संबंध में सतर्कता संबंधित कोई मामला लंबित अथवा विचाराधीन नहीं है, जिन मामलों में वित्तीय उन्नयन की तिथि इस आदेश के बाद की है।

7. उपरोक्त वित्तीय उन्नयन संशोधित सुनिश्चित आजिवका प्रोन्नयन (एमएसीपी) योजना के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले अनुदेशों एवं दिशा-निर्देशों के अध्याधीन होंगे।



(प्रियम्बदा शर्मा)

व.प्र.अ., मु.प्र.अ./कार्मिक-2(बी)

11 फरवरी 2020

<u>वायु सेना मुख्यालय/पी सी समन्वय</u>	<u>नौ सेना मुख्यालय/प्रशा (सिव)</u>	<u>एस एफ एल</u>
<u>मु.प्र.अ./ए-1(ए)</u>	<u>मु.प्र.अ./ए-1(बी)</u>	<u>मु.प्र.अ./ए-2(बी)</u>
<u>मु.प्र.अ./ए-3(ए)</u>	<u>मु.प्र.अ./ए-3(बी)</u>	<u>मु.प्र.अ./ए-4(बी)</u>
<u>मु.प्र.अ./ए-5(ए)</u>	<u>मु.प्र.अ./ए-5(बी)</u>	<u>मु.प्र.अ./ए-6(बी)</u>
<u>मु.प्र.अ./ए-7(ए)</u>	<u>मु.प्र.अ./ए-7(बी)</u>	

प्रतिलिपि:-

सशस्त्र सेना मुख्यालय/ अंतर सेवा संगठनों के सभी संबंधित समन्वय अनुभाग

सूचना पटल

मु.प्र.अ. वेबसाइट (<http://www.caomod.gov.in>)

द्वारा

ई.डी.पी. प्रकोष्ठ

